न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–49/2016

मो0 आरिफ...वादी

बनाम

बीबी ऐशा खातून एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
18.12.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 12.12.2025 अंदर आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 18.12.2025 को आदेश हेतु नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–04 इसराफिल मियाँ की मृत्यु दिनांक 10.03.2017 को हो गयी है जो अपने पीछे विधिक वारिशान के रूप में अपनी पत्नी मु0 सबुजन खातून एवं तीन पुत्री बीबी ऐशी खातून (प्रतिवादी सं0–01), सालेहा खातून (प्रतिवादी सं0–02) वो बीबी रोबैदा (प्रतिवादी सं0–03) को छोड़कर वफात किये। तत्पश्चात् मु0 सबुजन खातून भी अपने उक्त तीन पुत्रियों को अपना विधिक उत्तराधिकारी के रूप में छोड़कर वफात कर गई। प्रतिवादी सं0–04 इसराफिल मियाँ के तीनों उक्त वारिसान पूर्व से ही अभिलेख पर प्रतिवादी के रूप में है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मृत प्रतिवादी सं0–04 को विलोपित करने का आदेश देने की कृपा की जाए। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने एक आवेदन दिनांक 12.12.2025 को अंदर आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया तथा निवेदन किया है कि प्रतिवादी सं0–04 इसराफिल मियाँ की मृत्यु दिनांक 10.03.2017 को हो गयी है। मृत प्रतिवादी सं0–04 के वारिसान पूर्व से ही वाद के आवश्यक पक्षकार है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0–04 का नाम वाद पत्र से विलोपित करने का	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

स्वत्व वाद <u>सं0–49</u>/2016

मो0 आरिफ...वादी

बनाम

बीबी ऐशा खातून एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **18.12.2025**	आदेश दिया जाए। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी का आवेदन न्यायसंगत है और इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है। अतः न्यायहीत में वादी का आवेदन दिनांक 12.12.2025 को स्वीकार किया जाता है और वादी को निर्देश दिया जाता है कि वाद पत्र से मृत प्रतिवादी सं0–04 इसराफिल मियाँ का नाम कलमजद करें। आगामी दिनांक 17.02.2026 वास्ते अग्रीम कार्यवाही हेतु नियत किया जाता है। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	